डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

फोन नं०-0522-6692000, 4918504, 4918509, फैक्स नं०-0522-4918506

पत्रांकः– /Estb.(Gen)/RMLIMS/2017 दिनांक– 13 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में योजित रिट पिटीशन सं0–6297 (एस0/एस0)/2017–श्रीमती पुष्पा वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य– में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2017 को पारित आदेश का क्रियान्वयन अंश निम्नवत् हैः–
......."the writ petition is finally disposed of with a direction to the competent authority of the institute to take final decision on the representation preferred by the petitioner against the seniority list dated 29.11.2016. It is furthrt directed that the competent authority while taking decision on the representation which has been preferred/which may be preferred by the petitioner shall give an appropriate opportunity of hearing or making representation to the other incumbents who are likely to be affected by such determination. The decision as aforesaid by the competent authority shall be taken before any exercise for making promotion on the post of Assistant Nursing Superintendent is undertaken by the respondents."

2– उल्लेखनीय है कि संस्थान के कार्यालय ज्ञाप सं0–3231/Estb.(Gen)/RMLIMS/2016, दिनांक 29 नवम्बर 2016 द्वारा सिस्टर ग्रेड–1 के पदपर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। इस ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध श्रीमती पुष्पा वर्मा, सिस्टर ग्रेड–1 द्वारा निदेशक संस्थान को प्रस्तुत प्रत्योवदन दिनांक 11.03.2017 जिसका उल्लेख मा0 उच्च न्यायालय के उद्धृत उक्त आदेश दि0 27.03.2017 में किया गया है, के अन्तर्गत निम्न बिन्दु उठाये गये हैंः–

(1)– संस्थान द्वारा जारी की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रार्थिनी का वरिष्ठता क्रमांक 11 पर रखा गया है जबकि वरिष्ठता क्रमांक 08 पर पर श्रीमती दीपमाला सिंह को रखा गया है।

(2)– प्रार्थिनी (श्रीमती पुष्पा वर्मा) द्वारा संस्थान में वर्तमान पद पर अपनी योगदान आख्या दिनांक 11.06.2013 को प्रस्तुत की गयी थी। इस प्रकार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 11.06.2013 है जबकि दीपमाला सिंह की मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 27.07. 2013 है।

(3)– श्रीमती दीपमाला सिंह का नाम संस्थान की विज्ञप्ति सं0–139/Dir.Camp/RMLIMS/2013 के सापेक्ष सिस्टर ग्रेड–1 की चयन सूची में नहीं है और न ही इसकी कोई प्रतीक्षा सूची संस्थान द्वारा जारी की गयी है।

(4)– उपर्युक्त ऊपर वर्णित मौलिक नियुक्ति के आधार पर प्रार्थिनी (श्रीमती पुष्पा वर्मा) श्रीमती दीपमाला सिंह से वरिष्ठ हैं जबकि वरिष्ठता सूची में प्रार्थिनी को दीपमाला सिंह से नीचे रखा गया है जो किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है एवं वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी नियमावली का उल्लंघन है।

(5)– प्रार्थिनी की वरिष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर दीपमाला सिंह से ऊपर नियमानुसार निर्धारित की जाय।

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
फोन नं०–0522-6692000, 4918504, 4918509, फैक्स नं०–0522-4918506

3– याची श्रीमती पुष्पा वर्मा के प्रत्यावेदन में उल्लिखित आधार पर सिस्टर ग्रेड–1 की ज्येष्ठता सूची में इनकी वरिष्ठता श्रीमती दीपमाला सिंह से ऊपर निर्धारित किये जाने से संस्थान में सिस्टर ग्रेड–1 पद पर कार्यरत अन्य कार्मिकों की ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

4– अतः मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.03.2017 के अनुपालन में सिस्टर ग्रेड–1 पद पर कार्यरत संस्थान के समस्त कार्मिकों (सूची संलग्न) को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे संस्थान स्तर से सिस्टर ग्रेड–1 के पदधारकों को जारी उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 29.11.2016 एवं श्रीमती पुष्पा वर्मा के प्रत्यावेदन दिनांक 11.03.2017 में उल्लिखित उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में यदि अपना प्रत्योवदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसे तत्काल/विलम्बतम दिनांक 17.05.2017 तक निदेशक, संस्थान के कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करा दें। यदि इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो कृपया तदनुसार अवगत करा दें ताकि यथास्थिति उस हेतु समय प्रदान किया जा सके। इस कार्यवाही के उपरान्त यथाप्राप्त प्रत्योवदनों के परीक्षणोपरान्त याची के प्रत्यावेदन का यथाशीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

निदेशक

पत्रांक– 44 /Estb.(Gen)/RMLIMS/2017/निदेशक कैम्प तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त नियंत्रक।
2. चिकित्सा अधीक्षक,
3. मुख्य नर्सिंग अधिकारी।
4. सम्बन्धित समस्त नर्सिंग कार्मिक (सिस्टर ग्रेड–1)।
5. निदेशक कार्यालय।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त कार्यालय ज्ञाप संस्थान की बेब साइट पर अप लोड कर दें।
7. गार्ड फाइल।

(प्रो0 दीपक मालवीय)
निदेशक